भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2674

06.03.2020 को उत्तर के लिए

खनन क्षेत्रों में प्रदूषण

2674. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खनन क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय लोग प्रदूषण के कारण विभिन्न दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित हैं और खदान मालिकों/कंपनियों ने प्रदूषण की जांच के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने खनन क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा ऐसे खदान मालिकों/कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) खनन कार्यकलापों से धूल कणों के उत्सर्जित होने के कारण इनका मानव स्वास्थ्य पर खतरा होता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण की संभावना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकरण कार्यकलापों के अनुसार इस उद्योग को लाल श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत खनन कार्यकलापों को विनियमित किया जाता है। महानिदेशक खान सुरक्षा (डीजीएमएस) को खान सुरक्षा संबंधी मुद्दों और खानों में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए अधिदेशित किया गया है तथा उनके द्वारा खनन की पद्धति निर्धारित की जाती है ताकि खान में और उसके आसपास दुर्घटना और बीमारी के खतरे को नियंत्रित किया जा सके।

सभी खनन कार्यकलापों के लिए समय-समय पर संशोधित ईआइए अधिसूचना, 2006 के उपबंध के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है जिसके अंतर्गत खान मालिकों द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का, प्रस्तावित खनन कार्यकलाप के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पूर्वानुमानित प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। खान मालिकों द्वारा अनुपालन के संबंध में एहतियाती और निवारक उपाय विनिर्दिष्ट किए जाते हैं जैसे कि खनन क्षेत्र की सीमा के बाहर धूल के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए खनन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ अनिवार्य पौधरोपण करना। इसके अलावा, खानों के संबंध में यह निदेशित है कि वाहनों को ढककर खनिजों की ढुलाई करते समय धूलकणों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं तथा जहां कहीं भी तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, संवृत्त वाहक प्रणाली (क्लोज्ड़ कन्वेयर सिस्टम) का प्रयोग भी किया जाए।

निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी की जाती है तथा पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के यथा लागू उपबंध के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति द्वारा खनन कार्यकलाप के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की जाती है तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

*****